22/02/2021 पत्रावली आज पेश हुई। अपीलान्ट वकील उपस्थित रेस्पोंडेन्टस संख्या (1) से (3) की ओर से वकील श्री भोपालसिंह राठौड़ द्वारा वकालतनामा पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया।

हस्तगत प्रकरण के संबंध में पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम प्रार्थना पत्र संख्या 18/2020 अनवान गवरी बनाम बगदा बाद सुनवाई स्वीकार किया गया। अपीलान्ट वकील द्वारा बहस का निवेदन किया गया। जिस पर अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्टस अधिवक्ताओं की अपील पर बहस सुनी गई। अपीलान्ट वकील द्वारा बहस में बताया कि अपीलान्ट व रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 स्व. मला वल्द इराजी कौम पुरोहित साकिन जाखड़ी के कायम मुकाम व वैध उत्तराधिकारी है। अपीलान्ट व रेस्पों. 1 व 2 की मां पत्नी पति मलाजी फौत हो चुकी है। इस प्रकार अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट संख्या (1) व (2) मला वल्द ईराजी कौम पुरोहित साकिन जाखडी के प्रथम श्रेणी के वैध उत्तराधिकारी व वारीसान है, अपीलान्ट की पुश्तैनी खातेदारी आराजी मौजा जाखडी के ख.नं. 1304 रकबा 2.03 हेक्टेयर बाबत मलाजी के फौत होने पर म्यूटेशन संख्या 824 तमाम वारीसान के नाम भरा गया, परन्तु उक्त म्यूटेशन स्वीकृत करते वक्त अपीलान्ट का नाम गवरी पुत्री मला की बजाय राधा पुत्री [illegible] दिया। जिसकी जानकारी अपीलान्ट [illegible] की राजस्व [illegible] नकल [illegible] हुई। म्यूटेशन संख्या 824 [illegible] वक्त अपीलान्ट [illegible] पिता मला के तमाम वारीसान के वास्तविक नाम बाबत कोई जांच नहीं की तथा न ही अपीलान्ट से किसी प्रकार की जांच की गई तथा अपीलान्ट

अधिनस्थ अधिकारी

— PTO —

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.03.12 18:43:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मुकदमा नं. 04/2020

~~गवरी बनाम वगैरा~~

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

के वारीसान के वास्तविक नाम बाबत की भी कोई जांच नही की गई। मला के राधा नाम की कोई पुत्री नही होने के बावजूद अपीलान्ट का नाम गवरी की बजाए राधा गलत दर्ज कर दिया। इसलिये उक्त म्युटेशन काबिल खारीज योग्य है। अतः निवेदन है कि उक्त म्युटेशन को अपास्त कर अपीलान्ट के पिता मला वल्द ईराजी कौम पुरोहित साकिन जावडी की फौतेदगी बाबत उक्त मला के तमाम वारीसान यानि अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम म्युटेशन स्वीकृत करने के आदेश फरमावें।

जिस पर रेस्पोन्डेन्ट्स वकील द्वारा बहस में बताया कि म्युटेशन संख्या 824 में अपीलान्ट का नाम गवरी की बजाए राधा गलत रूप से दर्ज किया गया है। जिसे सही किया जाना उचित है। व रेस्पोन्डेन्ट वकील द्वारा अन्य किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही करते हुए अपील के तथ्यों को स्वीकार किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा पेश म्युटेशन संख्या 824 स्वीकृत दिनांक 20.1.2007 का अध्ययन किया जिसमें मौजा जावडी के खसरा नम्बर [illegible] में मला फौत होने पर [illegible] नामांतरण भरा गया [illegible] नामांतरण [illegible] मला वल्द ईरा कौम पुरोहित [illegible] के स्थान पर बगदा वल्द मला, राधा, हरु पुत्री मला कौम पुरोहित सा. देह खातेदार" दर्ज किया गया।

उक्त इन्द्राज के आधार पर जमाबंदी में इन्द्राज

आखण्ड अधिकारी
रानीवाडा

— PTO —

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.03.12 18:43:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज
	किया गया जो मला वल्द ईसा के तमाम वारिसान के नाम के अनुरूप नहीं है, जो राजस्थान भू-राजस्व (अभिलेख) नियम 1957 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तरण संख्या 824 विधिक त्रुटि का होने से राजस्व रेकर्ड मे दुरस्ती करने हेतु उक्त नामान्तरण को निरस्त किया जाना न्यायसंगत है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील आंशिक स्वीकार योग्य है।

-! आदेश !-

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। तथा ग्राम पंचायत जाखड़ी द्वारा नामान्तरणकरण संख्या 824 स्वीकृत दिनांक 20.1.2007 को निरस्त किया जाता है, तथा उक्त नामान्तरणकरण के आधार पर जमाबंदी में किये गये इन्द्राज भी प्रभाव शून्य घोषित किये जाते है। तथा उक्त नामा. संख्या 824 को तहसीलदार रानीवाड़ा को प्रतिप्रेषित किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि आप अपीलार्थी के पिता मला वल्द ईसा (फौत) होने से इनके उत्तराधिकारियों की जांच कर विधिक प्रक्रिया अनुसार नामान्तकरण खोलने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति पालना हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को भेजी जावें। पक्षकारान अपना-अपना खर्चा वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(प्रकाशचन्द्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 22.02.[illegible] को मेरे द्वारा खुले इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.03.12 18:43:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner